न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0–02/2015–16

राज्य **बनाम** बबन सिंह

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

22-2-19

आदेश

प्रस्तुत वाद अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना के पत्र सं0–540/आ0 दिनांक–16.03.2015 के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर का पत्र सं0–445 दिनांक–11.03.2015 से अकिलपुर थाना कांड सं0 19/15 दिनांक–27.02.2015 में दर्ज प्राथमिकी की छाया–प्रति एवं जप्ती–सूची प्राप्त हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के पत्र में जप्त समाग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है। जिसके आलोक में दिनांक–21.04.2015 को प्रश्नगत वाद में आदेश पारित करते हुए विपक्षी (आरोपी) पर नोटिस करते हुए सूचित किया गया कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में कोई साक्ष्य हो तो दिनांक--24.06.2015 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्वंय अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम् से पक्ष रखें। अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की कंडिका–6 ए के प्रावधानों के अंतर्गत जप्त समाग्रियों को राजसात (Confiscate) कर लिया जायेगा। विपक्षी (आरोपी) द्वारा दिनांक–24.06.2015 को वकालतनामा के साथ हाजरी दिया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद में गेहूँ–12.80 क्विंटल (2) चावल–3.20 क्विंटल, स्टॉक में अधिक एवं किरासन तेल 84 लीटर कम पाये गये के संबंध संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

दिनांक–22.02.2019 को अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि जप्त सामग्री विनष्ट हो सकती है। अतः इसे राज्यसात (Confiscate) कर लिया जाय।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आरोपी (विपक्षी) के पास जप्त सामग्रियों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है एवं न कुछ कहना है।

अकिलपुर थाना कांड सं0 19/15 दिनांक–27.02.2015 में जप्त समाग्रियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के आलोक में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को आदेश दिया जाता है कि अकिलपुर थाना कांड सं0 19/15 दिनांक–27.02.2015 में जप्त खाद्यान्नों एवं अन्य समाग्रियों को बिक्री करा दें। बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाना में कोषागार चालान से जमा कराकर चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में संघारित कर उक्त चालान की एक छाया–प्रति को स्व0 हस्ताक्षर कर न्यायालय में अवश्य ही भेज देगें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

22/2/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

22/2/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ज्ञापक / निर्गत प्रतिलिपि, अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 22/2/19 वरीय उप समाहर्ता प्रभारी पदाधिकारी आपूर्ति